[2020] 2 एस. सी. आर 983

अशोक कुमार गुप्ता व अन्य

बनाम

मेसर्स सीतालक्ष्मी साहूवाला मेडिकल ट्रस्ट व अन्य

(सिविल अपील संख्या 1917/2020)

03 मार्च, 2020

[उदय उमेश ललित व विनीत सरन न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 92- वाद, अपीलार्थी- वादीगण (पति और पत्नी), जो एक सार्वजनिक धर्मार्थन्यास (प्रथम प्रतिवादी) के न्यासीगण हैं, द्वारा दाखिल किया गया- न्यास विलेख के अन्तर्गत चार न्यासी में दो वादीगण और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (प्रथम वादी के माता-पिता और उसके भाई-प्रतिवादी संख्या-4) थे- न्यास के प्रशासन हेतु योजना तैयार करने के लिये वाद दायर किया गया था-यहाँ अन्य बातों के साथ -साथ अनुरोध किया गया था कि प्रथम वादी एक योग्य शल्य चिकित्सक है व न्यास, चतुर्थ प्रतिवादी, जिसके पास अस्पताल संचालन एवं न्यास का प्रबंधन करने के लिए कोई चिकित्सा योग्यता/विशेषज्ञता नहीं थी, के नियंत्रण में था और न्यास के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे; और यह कि वादीगण को न्यासी मंडल से हटाने की मांग की गई थी- उपरोक्त वाद के साथ, वादीगण ने भी न्यायालय में वाद संस्थित करने की अनुमति के लिए धारा - 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन दायर किया- धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुमति दी गयी- प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दी गयी अनुमति रद्द करने की मांग की- प्रदान की गयी अनुमति रद्द नहीं की गई- प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण याचिका दायर की- जो स्वीकृत की गयी- अभिनिर्धारित किया गया कि, धारा 92 को लागू करने हेतू तीन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। स्वीकृत है कि संबंधित न्यास, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धर्मार्थ प्रकृति का बनाया गया है - यह भी कि वाद पत्र में मामला है कि न्यास को एक निजी पारिवारिक न्यास के रूप में चलाया जा रहा था; इसके उद्देश्य को नजरअंदाज किया जा रहा था; एवं वहाँ सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से इसके प्रशासन के लिए एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता थी- आगे, जो शिकायत की गई थी, वह यह थी कि अपीलार्थीगण को न्यासी मंडल से हटा दिया गया था और वर्तमान न्यासियों में से कोई भी चिकित्सा पेशे से नहीं है- यह उस संदर्भ में है कि मुख्य अनुतोष प्रशासन की एक उचित योजना तैयार करने और ऐसे न्यासियों की नियुक्ति के लिए थी, जो प्रथम वादी को शामिल करते हुए चिकित्सा पेशे से जुड़े हो एवं आम जनता के बीच से हों- प्रार्थित अनुतोष को प्रथम वादी के व्यक्तिगत अधिकारों को सही साबित करने की प्रकृति का होना नहीं कहा जा सकता- उपरोक्त अनुतोष की प्रार्थना इसलिए की गई थी ताकि एक ऐसे न्यास की स्थापना की जा सके, जहाँ ऐसी जिम्मेदारी निभाने के लिए अच्छी तरह से योग्य न्यासियों के माध्यम से आम जनता को चिकित्सा व संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराकर, न्यास के उददेश्यों

को प्राप्त किया जा सके- यदि एक न्यास जिसने एक अस्पताल की स्थापना की थी, उसमें न्यास के उचित प्रशासन के लिए चिकित्सा व्यवसाय व जनता के बीच से न्यासी नियुक्त करके उचित प्रशासन की जाँच की गयी थी, तो मामला निश्चित रूप से धारा. 92 के दायरे के अन्तर्गत आएगा- उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण खारिज कर दिया गया- जिला न्यायालय के निर्णय को बहाल किया गया।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1- संहिता की धारा 92 को लागू करने और उक्त धारा के तहत कार्रवाई बनाए रखने के लिए तीन शर्तों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, यथा- प्रश्नगत न्यास, पूर्त या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है; वहाँ न्यास भंग है अथवा न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता है; और दावाकृत अनुतोष, उक्त धारा में उल्लिखित अनुतोषों में से एक या अन्य अनुतोष है। परिणामस्वरूप, यदि इन तीन शर्तों में से कोई भी पूर्ण नहीं है, मामला उक्त धारा 92 की परिधि से बाहर होगा। प्रस्तुत मामले में, यह स्वीकृत है कि संबंधित न्यास सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक प्रकृति का बनाया गया है। उस बिन्दु पर मामला किसी भी संदेह से परे है। जहाँ तक दूसरी शर्त का संबंध है, वाद पत्र की कंडिका-21 में अभिकथित है कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट को एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट के रूप में संचालित किया जा रहा था; कि ट्रस्ट के उद्देश्य की अनदेखी की जा रही थी; और इसके लिए सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से न्यास के प्रशासन हेतु एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। जहां तक तीसरी शर्त का संबंध है, जिन अनुतोषों के लिए अनुरोध किया गया है, वे विविध हैं जिनमें अन्य आनुषंगिक अनुतोषों के साथ-साथ प्रशासन की एक उचित योजना तैयार करने, कुछ न्यासियों को हटाने एवं चिकित्सा व्यवसाय और जनता के बीच से नए न्यासियों की नियुक्ति के अनुतोष भी हैं। [पैरा 13,14] [995 ई-एच; 996 ए-डी]

1.2 प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी संख्या 1-प्रथम वादी, एक योग्य चिकित्सा पेशेवर के रूप में, न्यास से जुड़ा था और यह शिकायत है कि अपीलार्थीगण को न्यासी मंडल से हटा दिया गया है और वर्तमान में कोई भी न्यासी चिकित्सा व्यवसाय से नहीं हैं। यह उस संदर्भ में है कि मुख्य अनुतोष प्रशासन की एक उचित योजना तैयार करने तथा न्यास के उचित व प्रभावी प्रशासन के लिए चिकित्सा व्यवसाय तथा आम जनता के बीच से न्यासियों की नियुक्ति हेतु है। इस संदर्भ में, अभिव्यक्ति "प्रथम वादी सहित" से यह समझा जाय कि प्रथम वादी योग्य चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रारम्भ से ही न्यास से जुड़ा था परन्तु अब उसे हटा दिया गया है। प्रार्थित अनुतोष को प्रथम वादी के व्यक्तिगत अधिकारों को सिद्ध करने वाली प्रकृति का होना, नहीं कहा जा सकता। प्रशासन की उचित योजना बनाने की प्रार्थना की

गयी थी, ताकि योग्य व उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु सक्षम न्यासियों के माध्यम से आम जनता को चिकित्सा व संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के न्यास के सभी उददेश्यों की पूर्ति की जा सके। कण्डिका 21 से स्पष्ट होने वाले मामले के सार व वाद में दावाकृत मुख्य अनुतोष से बिल्कुल स्पष्ट है कि, जिसके लिए क्षोभ था, वह लोक अधिकार थे। यदि एक न्यास के संबंध में, जिसने एक अस्पताल स्थापित किया था, प्रशासन के उचित दायरे को तैयार करने के लिए एक अनुरोध किया गया था, जिससे न्यास के उचित व प्रभावी संचालन के लिए चिकित्सा व्यवसाय से व आम जनता के बीच से न्यासियों की नियुक्ति हो, तो मामला निश्चित रूप से संहिता की धारा-92 के दायरे के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को खारिज किया जाता है और जिला न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को पुनः स्थापित किया जाता है। [पैरा 16-18] [999 ई-एच; 1000-ए; सी-डी]

चेयरमैन मदप्पा बनाम एम0एन0 महंथादेवरू एवं अन्य [1966]2 एस0सी0आर0 151- अनुसरण किया गया।

विश्वनाथ व अन्य बनाम श्री ठाकुर राधावल्लभजी व अन्य [1967]2 एस0सी0आर0 618,

सुग्रा बीबी बनाम हाजी कुम्मू मियां (1969)3 एस0सी0आर0 83 - विश्वास किया गया

संदर्भित वाद

(1966)2 एस0सी0आर0 151	अनुसरण किया गया	पैरा-11
(1967)2 एस0सी0आर0 618	विश्वास किया गया	पैरा-12 (ए)
(1969)3 एस0सी0आर0 83.	विश्वास किया गया	पैरा 13(बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1917/2020

उच्च न्यायालय मद्रास के सी0आर0पी0 (पी0डी0) संख्याः 2708/2013 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.04.20219 से उत्पन्न।

के. वी. विश्वनाथन, गुरू कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्तागण, प्रदीप अग्रवाल, लाल प्रताप सिंह, शोभित तिवारी, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, यश राज, अपूर्व सिंघल, सुश्री रूचि कोहली, श्रीधर, वी0 रघुनाथ, अरूण मोझी, विजय कुमार,अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों के लिए,

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा पारित किया गया ।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रस्तुत अपील में सी0आर0पी0 (पी0डी0) नं0 2708/2013 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 30.04.2019 को चुनौती दी गयी है।

3. मूल वाद संख्या 566/2012 वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा जिला न्यायाधीश कोयम्बटूर के न्यायालय में निम्न अभिकथनों के साथ दायर किया गया था:-

"III. द्वितीय वादिनी, प्रथम वादी की पत्नी है। प्रथम वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का बड़ा पुत्र है। चतुर्थ प्रतिवादी, द्वितीय व तृतीय प्रतिवादी का छोटा पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या-5 उसकी पत्नी है। प्रतिवादी संख्या-6, प्रतिवादी संख्या-4 व 5 की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या-7 परिवार का दामाद है तथा वह प्रथम वादी व चतुर्थ प्रतिवादी की बहन से विवाहित है। वादीगण, प्रथम प्रतिवादी 'न्यास' के न्यासी और न्यास के मामलों में हितबद्ध व्यक्ति हैं एवं प्रथम प्रतिवादी 'न्यास', जो एक सार्वजनिक धार्मर्थ न्यास है, के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने के लिये वर्तमान वाद दायर किया है।

IV) द्वितीय प्रतिवादी सन् 1959 में कोयंबटूर में स्थापित हो गया और वहाँ एक मेसर्स इण्डिया रोलर फ्लोर मिल्स नामक फर्म संचालित कर रहा था। प्रथम वादी, शैक्षिक रूप से अच्छा विद्यार्थी था तथा अपनी श्रेष्ठता के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तथा कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज से एम0बी0बी0एस0 (स्नातक) पूरा किया। उसने स्नातकोत्तर की अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई से एम0एस0 किया और इस प्रकार मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक एवं योग्य सर्जन बना।

V) एक डॉक्टर के रूप में अपने भविष्य और अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या-2 ने एक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया, ताकि प्रथम वादी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। हालांकि, अस्पताल की परिकल्पना एक धर्मार्थ अस्पताल के रूप में की गई थी। द्वितीय प्रतिवादी ने निबंधित न्यास विलेख दिनांक 09.04.1980 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या-1, मेसर्स सीतालक्ष्मी साहूवाला मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया। न्यास विलेख की एक प्रति इसके साथ प्रस्तुत की जाती है और मूल व अन्य दस्तावेज द्वितीय प्रतिवादी के पास है।

VI) न्यास के उद्देश्य, खण्ड- । में निर्धारित किये गये हैं, जो संक्षेप में अस्पतालों, शल्य चिकित्सा गृह, स्वास्थ प्रशिक्षण, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह और औषधालयों की स्थापना और संचालन में सहायता, अस्पतालों को सुसज्जित कर, उपकरण आदि प्रदान करके वित्तीय सहायता और पूर्त कार्य करना है।

VII) वादी का सम्मानपूर्वक अभिकथन है कि प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' की स्थापना, जरूरतमंद नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया गया कि प्रथम वादी, जो एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी बन चुका था, वह संस्थान की देखभाल करेगा और अस्पताल का प्रशासन करेगा, जहाँ अस्पताल का एक हिस्सा पूर्त कार्यों के लिये चलाया जा सकता है और प्रथम वादी अपना परामर्श दे सकता है और समाज में लोगों की सेवा के लिये रोगियों को भर्ती कर सकता है।

VIII) यह उल्लेखनीय है कि न्यास विलेख के अन्तर्गत नियुक्त चार न्यासी, दोनों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-2 और 3 है तथा उन्हें आजीवन न्यासी नियुक्त किया गया है। खण्ड 10 के अनुसार, द्वितीय प्रतिवादी प्रबंध न्यासी है तथा प्रथम वादी को संयुक्त प्रबंध न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था।

IX) दिनांक 09.04.1980 के न्यास विलेख में, एक अन्य विलेख दिनांक 23.03.1981 द्वारा संशोधन किया गया था। इन उद्देश्यों के अलावा मुफ्त शिक्षा प्रदान करने एवं अनाथालयों का संचालन तथा गरीब लोगों को शादी करने में मदद करने के उद्देश्यों को शामिल किया गया था, परंतु इन अतिरिक्त धर्मार्थ कार्यों में से कुछ भी, कभी नहीं किया गया।

X) दिनांक 15.03.1985 के एक अन्य विलेख द्वारा, न्यास विलेख में अधिक उद्देश्य जोड़े गये, जिनकी मूल उद्देश्यों के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। वहीं दिनांक 24.11.1986 के एक पंजीकृत विलेख द्वारा, न्यास विलेख में ऋण लेने की शक्ति प्रदान करने के लिये एक संशोधन भी किया गया था।

XI) ट्रस्ट ने दिनांक 08.04.1985 के विक्रय विलेख द्वारा काउली ब्राउन रोड में, 33 सेन्टस भूमि खरीदी तथा उस पर वर्ष 1987-88 में, प्रथम प्रतिवादी न्यास, द्वारा एक अस्पताल निर्मित व स्थापित किया गया। प्रथम वादी, वर्ष 2003-04 तक इस अस्पताल की देखभाल कर रहा था। तदुपरान्त पिछले एक दशक के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन नीचे किया गया है.....''

4. 2003-04 के बाद की घटनाओं के जिक्र में यह सविस्तार बताया गया कि चतुर्थ प्रतिवादी-अपीलार्थी संख्या-1 का भाई, जिसके पास अस्पताल संचालन के लिये कोई चिकित्सा योग्यता या न्यास के प्रबंधन की कोई विशेषज्ञता नहीं थी, के नियंत्रण में न्यास था और न्यास के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे तथा अपीलार्थियों को न्यास मंडल से हटाने की मॉग की गयी थी। अंततः यह कहा गयाः-

"XXII" वादीगण प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय के लिये, प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' के मामलों में हस्तक्षेप करने और सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से, न्यास के प्रशासन के लिये एक उचित योजना तैयार करने का समय आ गया है ताकि न्यास के उद्देश्यों को लागू किया जा सके। प्रतिवादीगण सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को, रबर स्टाम्प निवासियों के साथ, एक निजी पारिवारिक न्यास में परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि वे न्यास के सम्पत्तियों और न्यास से होने वाली आय से अपना जीवन यापन कर सके। प्रतिवादीगण, न्यास के उद्देश्यों की अनदेखी करने और अस्पताल को व्यवसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित करके, न्यास की वास्तविक आय को छिपाकर उसकी अर्जित आय का दुरूपयोग करने के दोषी हैं। निम्नलिखित कारणों से एक योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

1. न्यास का प्रशासन उचित हाथों में होना चाहिए और अस्पताल का प्रबंधन योग्य चिकित्सकों द्वारा किया जाना चाहिए।

2. प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' द्वारा कोई पूर्त कार्य नहीं किया जाता है और पिछले पॉच वर्षों से उक्त उद्देश्य के लिए मनगढंत और जाली अभिलेख बनाये जाते हैं। मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जाती है और न ही उसे प्रदान करने की अनुमति है। मात्र प्रथम वादी ही रोगियों को निःशुल्क परामर्श देता है।

3. न्यास की कोई नियमित बैठक आयोजित नहीं की जाती है, न ही बैठकों के उचित संचालन के लिये प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किये जाते हैं और कार्यवृत भी अभिलिखित नहीं किये जाते हैं।

4. न्यास द्वारा प्राप्त वास्तविक आय का लेखा नहीं रखा जाता है और इसे प्रतिवादी 2 से 5 द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिये प्रयोग किया जाता है। एकत्र की गई नगदी अगले दिन तुरंत जमा नहीं की जाती है बल्कि चतुर्थ प्रतिवादी द्वारा उपयोग की जाती है।

5. न्यासियों को प्रतिवादी 2 व 4 की इच्छानुसार नियुक्त किया जाता एवं हटा दिया जाता है और लोकतांत्रिक तरीके का अनुसरण नहीं किया जाता है।

6. चिकित्सकों एवं रोगियों से अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि चतुर्थ प्रतिवादी, विभिन्न राशियों की रिश्वत की मॉग कर रहा है और प्राप्त कर रहा है तथा प्रथम वादी को अस्पताल की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखने हेतु, चतुर्थ प्रतिवादी की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे अपने तरीकों को सुधारने का निर्देश देने के लिये सूचित किया गया है।

7. प्रतिवादीगण नहीं आते हैं और अस्पताल के दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण करते हैं। प्रथम वादी को अस्पताल के प्रशासन और प्रबंधन में भाग लेने से रोका जाता है, उसका उचित लेखा नहीं रखा जाता है।

8. इस प्रकार प्रतिवादीगण कुप्रबंधन, गबन के दोषी हैं और न्यास भंग कारित करने के दोषी हैं तथा वे पद धारण करने योग्य नहीं है। आठवॉं प्रतिवादी, प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' का बैंकर है और प्रथम प्रतिवादी, आठवें प्रतिवादी के साथ इसका खाता संचालित करता है। इस प्रकार आठवॉं प्रतिवादी, लेखा संचालन और नगद आहरण के हिसाब से उचित पक्षकार हैं।

5. इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने कथित वाद में निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना कीः

'' क) प्रतिवादीगण 2 से 6 को हटाकर, न्यास के उचित तथा प्रभावी प्रशासन के लिये, प्रथम वादी को सम्मिलित कर, चिकित्सा व्यवसाय व आम जनता के बीच से नये न्यासियों की नियुक्ति करके, प्रथम प्रतिवादी, मेसर्स सीतालक्ष्मी साहूवाला मेडिकल न्यास के प्रशासन के लिये एक उचित योजना तैयार किया जाय तथा उनमें प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' की सम्पत्तियों को निहित किया जाय।

ख) छठे प्रतिवादी की न्यासी के रूप में नियुक्ति, अमान्य और अवैध घोषित किया जाय और परिणामस्वरूप स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा छठे प्रतिवादी को, प्रथम प्रतिवादी ट्रस्ट के न्यासी के रूप में कार्य करने से रोक दिया जाय।

ग) वादी को न्यास बोर्ड से हटाने के लिये अपनायी गयी प्रक्रिया अमान्य, अवैध और दुर्भावनापूर्ण होने की घोषणा करने एवं वादीगण को न्यास बोर्ड से हटाने व न्यायालय की अनुमति के बिना न्यास बोर्ड के पुर्नगठन से, प्रतिवादी संख्या-2 से 6 तक को, स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित करने के लिये।

घ) प्रतिवादीगण को, सातवें प्रतिवादी को एक न्यासी के रूप में नियुक्त करने से स्थायी रूप से निषेधित करने एवं सातवें प्रतिवादी को प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' के न्यासी के रूप में कार्य करने से रोकने के लिये।

ड.) प्रथम प्रतिवादी न्यास के खातों का लेखा परीक्षण, एक स्वतंत्र चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा करने और प्रथम प्रतिवादी ट्रस्ट को देय किसी भी राशि का प्रतिवादी संख्या-2 और 4 द्वारा ट्रस्ट को भुगतान करने के लिये।

च) प्रथम प्रतिवादी ''न्यास'' की परिसम्पत्तियों का प्रभार संभालने और उन्हें प्रशासित करने के लिये एक परिसमापक की नियुक्ति करने तथा उन्हें योजना के अनुसार नियुक्त न्यासियों को सौंपने के लिये।

छ) वादी को वाद व्यय दिये जाने।

ज) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा उचित और उचित समझे जाने वाले अन्य अनुतोषों को दिये जाने।

6. उपरोक्त वाद के साथ अपीलार्थीगण द्वारा आई0ए0 नं0-1416/2012 दायर कर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में संहिता) की धारा 92 के अन्तर्गत वाद संस्थित करने की अनुमति मांगी गयी थी। दिनांक 31.07.2012 के आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश कोयंबटूर ने संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की। इसके तुरंत बाद प्रतिवादी संख्या-2 ने अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 31.07.2012 द्वारा दी गयी अनुमति को रद्द करने की मांग करते हुए आई.ए. नं0- 1435/2012 दायर किया। जिसमें यह कहा गया था कि न तो आवेदन में और न ही आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र में इस तरह की अनुमति देने के लिये कोई उचित कारण बताया गया था। मामले का विरोध किया गया। जिला न्यायालय ने दिनांक 27.11.2012 के आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण ने प्रथम दृष्टतया मामला बनाया था और पहले प्रदान की गयी अनुमति को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिला न्यायालय ने इस प्रकार आई.ए. नं0- 1435/2012 को इस अभिमत के साथ खारिज कर दियाः

''18- वाद पद के पैरा-18 में आरोप है कि चार प्रतिवादी, अपनी आजीविका कमाने और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये आय की हेराफेरी हेतु न्यास का अस्पताल चलाते हैं। वहाँ इस आशय का आरोप था कि विगत कई वर्षों में न्यासियों की कोई बैठक नहीं हुई है।

प्रतिवादीगण अस्पताल का प्रशासन करने में सक्षम और योग्य नहीं है। पैरा-9 में यह आरोप लगाया गया था कि छठे प्रतिवादी को, न्यास के विलेख में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न्यासी के रूप में शामिल किया गया था। लेखाओं को पारित करने और लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिये कोई वार्षिक बैठक नहीं हुई थी।

... ...

20. ..... प्रस्तुत मामले में, स्वीकार्य रूप से प्रथम वादी एक डॉक्टर हैं, उनकी योग्यता शल्य चिकित्सा में परास्नातक हैं। द्वितीय वादिनी उनकी पत्नी हैं। वेन्यास के प्रथम न्यासीगण हैं। यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि न्यास

में उनका हित, निहित है। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि वाद गैरजिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया गया था। स्वीकृत रूप से ट्रस्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाया गया था। यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि मूल न्यास के उद्देश्यों को बिना किसी प्राधिकार के संशोधित किया गया है। संशोधन की वैधता पर विचार विचारण के पश्चात् किया जा सकता है। इसी प्रकार न्यासियों की नियुक्ति संबंधित संशोधन भी विचारण के समापन के पश्चात् निर्णीत किया जा सकता है। '' **बी0 राजशेखरन बनाम एम0 राजेन्द्रन''**[1] में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः-

> '' जब तक कोई मजबूत मामला नहीं बनता है, तब तक आम तौर पर न्यायालय को अनुमति देनी चाहिए ताकि साक्ष्य दर्ज होने के बाद, प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा सके।''

... ...

21. यह सुस्थापित है कि सार्वजनिक पूर्त कार्य शाश्वत है और न्यायालय ऐसे पूर्त कार्यों का संरक्षक है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि वादीगण ने प्रथम-दृष्टया मामला स्थापित किया है। अतएव, इस न्यायालय द्वारा वाद संस्थित करने के लिये प्रदान की गयी अनुमति को रद्द नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार यह बिन्दु निस्तारित किया जाता है।''

7. प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण सी.आर.पी. (पीडी) नं0 2708/2013 दायर कर के जिला न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी। इसके तुरंत पश्चात् एक अन्य वाद अपीलार्थीगण द्वारा उनके दो पुत्रों के साथ दायर किया गया था, जिसमें यह घोषणा करने के लिये एक डिक्री की मांग की गई थी कि दिनांक 10.08.2012 के न्यास के पूरक विलेख के अन्तर्गत किये गये संशोधन को शून्य और अवैध घोषित किया जाय। वर्तमान में हमारा कथित ओ एस नं0 1415/2013 से सरोकार नहीं है।

8. उपरोक्त सिविल पुनरीक्षण को, उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व आदेश दिनांक 30.04.2019 के माध्यम से इस निवेदन को स्वीकार करते हुए, अनुमति दी गयी थी, कि यथा विरचित वाद अनिवार्य रूप से अपीलार्थीगण के व्यक्तिगत अधिकारों को सही साबित करने के लिये था और संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह निम्नलिखित रूप में संप्रेक्षित किया गयाः-

> ''22- उपरोक्त निर्णयों से यह सुस्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत प्रावधान का मुख्य उद्देश्य, उनके विरूद्ध दाखिल किये गये वादों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से, पुण्यार्थ और धार्मिक प्रकृति के लोक न्यास को, संरक्षण प्रदान करना है और न्यायालय को यह भी देखना है कि प्रथम-दृष्टया या तो न्यास

भंग का मामला है अथवा वाद पत्र में लगाये गये आरोप के आधार पर न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि न्यास भंग के आरोप की पुष्टि नहीं होती है और वाद की नींव ही व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार न्यायालय, उस क्षमता को, जिसमें वादी ने वाद चलाया है और वह प्रयोजन, जिसके लिये वाद को लाया गया था, को भी ध्यान में रखकर अनुतोष प्रदान करने से परे जा सकती है। उसे ऐसा प्रस्तुत करके, वैधता का रंग प्रदान करने का प्रयास किया गया था, जैसे कि वाद, सार्वजनिक अधिकारों का प्रति समर्थन कर रहा है। अतएव, अनुमति नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सर्वप्रथम वाद पत्र में लगाये गये आरोप को देखा जाना चाहिए कि क्या वाद धारा 92 के अन्तर्गत आता है।

23. उपरोक्त स्थापित स्थिति के आलोक में अब यह देखना होगा कि क्या वाद सार्वजनिक अधिकार को सही साबित करने के लिये दायर किया गया है अथवा व्यक्तिगत अधिकार हेतु? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ न्यास है। केवल वाद पत्र में लगाये गये आरोपों को ही देखा जाना चाहिए कि क्या मुकदमा निजी अधिकारों या सार्वजनिक अधिकारों को सही साबित करने के लिये है। वाद पत्र के पैरा-5 के पूर्ण अवलोकन करने पर वादी का यह तर्क है कि द्वितीय प्रतिवादी ने एक अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया ताकि प्रथम वादी, अपना व्यवसाय जारी रख सके। हालांकि, अस्पताल की परिकल्पना एक धर्मार्थ अस्पताल के रूप में की गयी थी। वाद पत्र के पैरा 7 में वादी का यह तर्क है कि प्रथम वादी, समाज में लोगों की सेवा करने के लिये, भर्ती किये गये रोगियों को परामर्श कर सकता है। वादी वर्ष 2003-04 तक अस्पताल की प्रशासन की देखभाल कर रहा था। पैरा-11 और 12 में यह अभिकथित है कि कैसे चतुर्थ प्रतिवादी को न्यास में शामिल किया गया था और पैरा 13 में यह दलील दी गयी है, जैसे कि चतुर्थ प्रतिवादी ने धीरे-धीरे शक्तियों को हड़पना शुरू कर दिया और एक संयुक्त प्रबंध न्यासी बन गया, इसके बावजूद कि, वादी वर्ष 2003-04 तक अस्पताल के प्रशासन की देखभाल कर रहा था। पैरा 13 में आगे यह आरोप लगाया गया है कि चतुर्थ प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या-2 और 3 को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी है। पैरा 14 में यह कहा गया है कि चौथा प्रतिवादी किराये का कुछ हिस्सा नगद प्राप्त कर रहा है और इसका उपयोग अपने खर्चो के लिये कर रहा है। वाद पत्र के पैरा 15 में वादी का यह तर्क है कि चौथा प्रतिवादी अस्पताल के मामलों को देख रहा है जो पहले वादी के चिकित्सा अभ्यास के लिये था। वास्तव में यह आरोप, पूर्व के अभिवचनों के विपरीत है कि वह वर्ष 2003-04 में अस्पताल

का प्रबंधन कर रहा था। सम्पूर्ण अभिवचन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादीगण ने तृतीय प्रतिवादी की पुत्री व पत्नी को शामिल किया है और वहाँ दिनांक 09.08.2012 को आयोजित होने वाली प्रस्तावित बैठक के लिये दिनांक 23.07.2012 की संसूचना द्वारा प्रसारित एक एजेंडा भी था।''

9. उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण को चुनौती देने वाली इस अपील में हमने, अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.वी. विश्वनाथन व प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरू कृष्ण कुमार को सुना।

10. इस मामले में शामिल मुख्य बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थीगण को संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति उचित थी? हम प्रारंभ में धारा 92 के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत कर सकते हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव का हैः-

''92. लोक पूर्त कार्यः- (1) पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिये, सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में या जहाँ ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वहाँ महाधिवक्ता, या न्यास में हित रखने वाले, ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्होनें न्यायालय की अनुमति अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद, चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित सशक्त किये गये किसी अन्य न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, न्यास की सम्पूर्ण विषय वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिये संस्थित कर सकेंगे-

(क) किसी न्यासी को हटाने;

(ख) एक नये न्यासी की नियुक्ति करने;

(ग) न्यासी में किसी सम्पत्ति को निहित करने;

(ग ग) ऐसे न्यासी को, जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को, जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में की, किसी न्यास सम्पत्ति का कब्जा, उस व्यक्ति को जो, उस सम्पत्ति के कब्जे का हकदार है, परिदत्त करने का निर्देश देने;

(घ) लेखाओं और जॉचों को निर्दिष्ट करने;

(ड़) यह घोषणा करने कि न्यास सम्पत्ति का या उसमें के हित का कौन सा अनुपात, न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये आवंटित होगा;

(च) सम्पूर्ण न्यास सम्पत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, बंधक किया जाना या विनिमय किया जाना, प्राधिकृत करने;

(छ) किसी योजना को स्थिर करने; अथवा

(ज) ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो, प्रदान करने

(2) उसके सिवाय जैसा, धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863 (1863 का 20) द्वारा, या उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर 1956 से ठीक पूर्व, भाग-ख राज्यों में समाविष्ट थे, प्रवृत तत्समान किसी विधि द्वारा उपबंधित है, उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुतोषों में से किसी के लिये दावा करने वाला कोई भी वाद, ऐसे किसी न्यास के संबंध में, जो उसमें निर्दिष्ट है, उस उपधारा के उपबंधों के अनुरूप ही संस्थित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(3) .....

11. धारा 92 (1) के सीमा क्षेत्र पर विचार करते हुए, जैसे यह उस समय अस्तित्व में था, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने, **चेयरमैन मदप्पा बनाम एम.एन. महंथदेवरू व दो अन्य**[2] में निम्नलिखित संप्रेक्षित कियाः-

"...धारा 92 (1) में दो प्रकार के मामलों का प्रावधान है, अर्थात् (i) जहाँ, पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए बनाए गए न्यास में, न्यास भंग होता है और (ii) जहाँ, ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है। धारा 92 (1) का मुख्य उद्देश्य, पुण्यार्थ या धार्मिक प्रकृति के लोक न्यास को, उनके विरूद्ध दाखिल किये गए वाद द्वारा, उत्पीड़ित किए जाने से, संरक्षण प्रदान करना है। यही कारण है कि यह प्रावधान करता है कि उस धारा के अन्तर्गत वाद, या तो मात्र महाधिवक्ता द्वारा अथवा महाधिवक्ता की लिखित सम्मति के साथ, न्यास में हित रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, दाखिल किया जा सकता है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि महाधिवक्ता, धारा 92 के अन्तर्गत वाद दाखिल करने या वाद दाखिल करने के लिये अपनी सम्मति देने से पूर्व, स्वयं को संतुष्ट करेगा कि वहाँ प्रथम दृष्टया न्यास भंग का मामला है अथवा न्यायालय का निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है। धारा 92 (1) के अन्तर्गत, एक वाद में मांगे जाने वाला अनुतोष, उस धारा में इंगित किया गया है और इसमें किसी भी न्यासी को हटाना, एक नये न्यासी की नियुक्ति, किसी भी सम्पत्ति को एक न्यासी में निहित करना,

किसी हटाये गये न्यासी या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में न्यास की सम्पत्ति का कब्जा, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति को देने का निर्देश देना, लेखाओं और जाँच का निर्देश देना, यह घोषित करना कि न्यास की सम्पत्ति या उसमें हित का कितना अनुपात, न्यास के किसी विशेष प्रयोजन के लिये आवंटित किया जायेगा, न्यास की पूरी सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को किराये पर देना, बेचने, गिरवी रखने या विनिमय करने अथवा किसी योजना के निपटाने के लिये प्राधिकृत किया जाना शामिल है। इन अनुतोषों की प्रकृति से पता चलेगा कि धारा 92 के अन्तर्गत वाद, तब दाखिल किया जा सकता है, जब न्यास का भंग होता है अथवा जब न्यास के प्रशासन में आम तौर पर सुधार की आवश्यकता होती है.....''

12. इस प्रकार स्थापित कानून का अभिकथन पुनः दोहराया गयाः-

क) **विश्वनाथ व एक अन्य बनाम श्री ठाकुर राधाबल्लभ जी व अन्य**[3]

'' यह स्थापित विधि है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 को लागू करने के लिये तीन शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात, (i) न्यास को धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाया गया है; (ii) वहाँ न्यास का भंग हुआ था अथवा ऐसे न्यास के प्रशासन में न्यायालय का निर्देश आवश्यक है; और (iii) दावाकृत अनुतोष उसमें दिये गये अनुतोषों में से एक या अन्य है। यदि तीन शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है तो वाद कथित धारा के दायरे से बाहर आता है.....''

ख) **सुग्रा बीबी बनाम हाजी कुम्मू मियां**[4]

'' यह स्पष्ट है कि यह धारा तब तक लागू नहीं होती जब तक कि तीन शर्तें पूरी न हो जायः (1) वाद, एक सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक न्यास से संबंधित होना चाहिए, (2) वाद, न्यास भंग के आरोप पर आधारित होना चाहिए अथवा न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निर्देश आवश्यक है, और (3) दावाकृत अनुतोष वे है, जिनका उल्लेख धारा में किया गया है।''

13. संहिता की धारा 92 को लागू करने और उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाई को बनाये रखने के लिये तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात

(i) प्रश्नगत न्यास, धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया हो;

(ii) वहाँ न्यास भंग हुआ हो या ऐसे न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निर्देश आवश्यक हो, और

(iii) दावाकृत अनुतोष उक्त धारा में वर्णित अनुतोषों में से एक या अन्य हो।

परिणामस्वरूप, यदि इन तीन शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होती है तो मामला उक्त धारा 92 के दायरे से बाहर होगा।

14. प्रस्तुत मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि संबंधित न्यास, धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाया गया है, उस बिन्दु पर मामला किसी भी संदेह से परे है। दूसरी शर्त के संबंध में, वाद पत्र के पैरा 21 में एक मामला सामने आया है कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को, एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट के रूप में चलाया जा रहा था, ट्रस्ट के उद्देश्य की अनदेखी की जा रही थी, और सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से ट्रस्ट के प्रशासन के लिए एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, दूसरी शर्त भी पूरी होती है।

जहाँ तक तीसरी शर्त का संबंध है, जिन अनुतोषों के लिये प्रार्थना की गयी है, वे विविध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासन की एक उचित योजना तैयार करना, कुछ न्यासियों को हटाना और चिकित्सा पेशे एवं जनता से नये न्यासियों की नियुक्ति और अन्य सहायक अनुतोष शामिल है। यह सत्य है कि जिन अनुतोषों के लिये प्रार्थना की गयी है, उनमें एक ऐसा अनुतोष शामिल है, जिसमें ट्रस्ट के उचित और प्रभावी प्रशासन के लिये चिकित्सा पेशे और जनता के अन्य न्यासियों के साथ, प्रथम वादी को भी, न्यासियों में से एक के रूप में शामिल करने की माँग की जा रही है। अतः एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वाद पत्र में अन्य अभिकथनों के साथ ऐसा अनुतोष मामले को, संहिता की धारा 92 के दायरे से बाहर ले जायेगी अथवा नहीं?

15. **सुग्रा बीबी**[4] में, वक्फ को मूल रूप से एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ वाद में, जिन अनुतोषों के लिये प्रार्थना की गयी थी, वे थे- (i) प्रतिवादी को मुतवल्ली के पद से हटाने और उसके स्थान पर वादी के पुत्र की नियुक्ति के लिये और (ii) जब तक, कथित पुत्र वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक रिसीवर की नियुक्ति के लिये। जहाँ वक्फ का निर्माण, मूल रूप से, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था, इस तथ्य पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने संप्रेक्षित कियाः-

"... ... वक्फ, धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता की परिधि में आएगा, यह निर्धारित करने हेतु, उचित परीक्षण है कि क्या वक्फ को मूल रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है? वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करते हुए, हमारी राय है कि हाजी इलाही बक्स द्वारा 18 नवम्बर, 1936 को बनाया गया वक्फ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के दायरे में आता है। यह विचार **एस. मसीरत हुसैन बनाम हुसैन अहमद चौधरी**[5] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से सामने आया है। वह मामला एक वक्फ

सम्पत्ति से संबंधित है, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय लगभग 1300 रूपये थी और इसमें से 353 रूपये की राशि, धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये अलग रखी गयी थी। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह राशि किसी भी तरह से जनता के पक्ष में एक मामूली या असंगत प्रावधान नहीं थी और परिणामतः वाद धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पोषणीय था। उच्च न्यायालय ने **वैद्यनाथ अय्यर बनाम स्वामी नाथ अय्यर**[6] के मामले में न्यायिक समिति के फैसले पर, अपने फैसले के समर्थन में भरोसा रखा था, जहाँ न्यास के संस्थापक ने अपनी वसीयत द्वारा निर्देशित किया था कि उनकी सम्पत्ति की आय का दो तिहाई हिस्सा, उनकी पत्नी को जायेगा और शेष एक तिहाई, पहले कुछ ऋणों के निर्वहन के लिये जायेगा और उसके बाद गरीबों को भोजन के लिये एक छत्रम की स्थापना हेतु जाएगा। एक और प्रावधान था कि पत्नी की मृत्यु के बाद उसे दी जाने वाली आय का दो तिहाई हिस्सा पूर्त कार्यों में और एक तिहाई परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। इन तथ्यों पर न्यायिक समिति, निम्न न्यायालय के इन निष्कर्षों से सहमत थी कि इस प्रकार स्थापित छत्रम, एक सार्वजनिक न्यास था।''

प्रार्थित अनुतोष के संदर्भ में यह दलील दी गई कि '' वाद, सार्वजनिक संस्थान अर्थात ट्रस्ट के अधिकार को साबित करने या स्थापित करने के लिये नहीं लाया गया था, बल्कि किसी व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन का समाधान करने या अपीलार्थी के निजी अधिकार को सही साबित करने के लिये लाया गया था।

''इस पर निम्न प्रकार से विचार किया गया था:-

> ''... ... <u>जिन अनुतोषों के लिये प्रार्थना की गयी है, वे हैंः (1) प्रत्यर्थी को मुतवल्ली के पद से हटाना और अपीलार्थी के पुत्र सुलेमान को उसके स्थान पर मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करना, और (2) उक्त सुलेमान के वयस्कता प्राप्त करने तक वक्त सम्पत्ति के प्रबंधन के लिये रिसीवर की नियुक्ति।</u> यह सत्य है कि यह तथ्य कि कोई वाद धार्मिक या धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक न्यास से संबंधित है और दावाकृत अनुतोष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 की उपधारा- (1) के खण्ड (क) से (ज) के अन्तर्गत आता है, स्वयं धारा के लागू होने को आकर्षित नहीं करेगी, जब तक कि वाद जनता के हित में संस्थित प्रतिनिधिक प्रकृति का न हो और न कि मात्र वादी के व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत अधिकारों की पुष्टि के लिये हो। जैसा कि **वुडरोफ, जे. ने.बुद्रीदास बनाम चुन्नी लाल**[7] में कहा थाः-

''यह स्पष्ट है कि महाधिवक्ता, कलेक्टर या अन्य लोक अधिकारी केवल लोक प्रतिनिधित्व करते हुए मुकदमा कर सकते हैं और यदि इन अधिकारियों के बजाय, न्यास में हित रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति उनकी सम्मति से न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक वारंट के अन्तर्गत मुकदमा करते हैं। इससे यह पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति, जन सामान्य, जिसके वे सदस्य हैं, के सामान्य अधिकारों को स्थापित करने के लिये नहीं, बल्कि अपने स्वयं के व्यक्तिगत अधिकार के किसी विशेष उल्लंघन का समाधान करने के लिये, मुकदमा करता है तो वाद, धारा के अन्तर्गत नहीं है अथवा इसे धारा के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है।''

इस सिद्धांत को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **अप्पन्ना बनाम नरसिगना**[8] में सही मानते हुए स्वीकार किया था। उस मामले में एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास के न्यासी द्वारा लेखाओं के लिए, एक सह न्यासी के विरूद्ध एक वाद दायर किया गया था और पूर्ण पीठ ने निर्णित किया कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह दावा अपने सह न्यासियों के विरूद्ध न्यासी के रूप में, वादी के विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने के लिये किया गया था। यही दृष्टिकोण, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **तिरूमलाई-तिरूपति देवस्थानम्स समिति बनाम उदिययार कृष्णैया शानभागल**[9] में अपनाया गया था। इस मामले में एक सार्वजनिक मंदिर के सामान्य न्यासियों ने धन की वसूली के लिये ऐसे न्यासियों के विरूद्ध वाद दायर किया, जो न्यासियों ने उनकी ओर से एकत्र किया था, जो लेखा और जॉच को निर्देशित करने वाली डिक्री के लिये प्रार्थना कर रहे थे। यह माना गया था कि धन एकत्र करने का अधिकार पूरी तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 से स्वतंत्र था और वाद संस्थित करने के लिये महाधिवक्ता की कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी। लीच, मुख्य न्यायाधीश, जिन्होनें न्यायालय का निर्णय दिया, ने निम्नलिखित अभिमत दियाः-

''वर्तमान मामले में विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, हम **शणमुखम चेट्टी बनाम गोविंदा चेट्टी**[10] में कही गयी किसी भी बात से, असहमत होने का कोई कारण नहीं देख सकते। दूसरी ओर हम वरदाचारियार. जे. की राय से पूरी तरह सहमत है कि यह निर्णय लेने में कि क्या कोई वाद, धारा 92 के अन्तर्गत आता है, न्यायालय को अनुतोषों से परे जाना चाहिए और उस क्षमता को घ्यान में रखना चाहिए, जिसमें वादीगण मुकदमा कर रहे हैं और उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिये मुकदमा लाया गया है। **अब्दुल रहीम बनाम मो0 बरकत अली**[11] में प्रिवी

काउंसिल का निर्णय, **जानकी वाई बनाम थिरूचित्रांवला विनायकर**[12] में पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त राय के लिए, कोई समर्थन नहीं रखता।

इन विधि-व्यवस्थाओं में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए हमारी राय है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा लाया गया वाद, वक्फ के सभी लाभार्थियों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में, उसके द्वारा लाया गया वाद, माना जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हाजी इलाही बक्स द्वारा बनाया गया वक्फ, धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्य के लिये बनाया गया, एक वक्फ था। वाद में अपीलार्थी द्वारा दावाकृत अनुतोष, किसी व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने के लिये नहीं, बल्कि अनुतोष, प्रतिवादी को न्यासी के पद से हटाने और उनके स्थान पर एक नये न्यासी की नियुक्ति के लिये है। अपीलार्थी द्वारा मांगा गया अनुतोष, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 (1) के खण्ड क और ख के अन्तर्गत आता है और अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया अनुतोष इंगित करता है कि अपीलकर्ता द्वारा वाद, व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि वक्फ सम्पत्ति के सभी लाभार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में लाया गया है....."

16. इस प्रकार **सुग्रा बीबी**[4] में प्रतिवादी को मुतवल्ली के पद से हटाने व वादी के पुत्र की नियुक्ति एवं रिसीवर की नियुक्ति के लिये अनुतोषों की प्रार्थना की गयी थी, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि वाद, वादी द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में लाया गया था।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी सं0-1- प्रथम वादी, एक योग्य चिकित्सा पेशेवर के रूप में, ट्रस्ट से जुड़ा था और अभियोग यह है कि अपीलार्थीगण को न्यासी बोर्ड से हटा दिया गया है तथा वर्तमान न्यासीगण में से कोई भी चिकित्सा पेशे से नहीं है। यह उस संदर्भ में है कि प्रशासन की योजना और न्यास के उचित और प्रभावी प्रशासन हेतु, चिकित्सा पेशे और जनता से न्यासियों की नियुक्ति के लिए उचित योजना तैयार करने के प्रमुख अनुतोष की प्रार्थना की गयी है। अभिव्यक्ति ''प्रथम वादी सहित'' को इस संदर्भ में समझना होगा, कि प्रथम वादी, एक योग्य चिकित्सा पेशेवर के रूप में, स्थापना के समय से ही न्यास से जुड़ा हुआ था, परन्तु अब इसे हटा दिया गया है। जिस अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई है, उसे प्रथम वादी के व्यक्तिगत अधिकारों को सही साबित करने की प्रकृति में, नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन की एक उचित योजना तैयार करने के लिए प्रार्थना की गई थी ताकि न्यास, जिसकी स्थापना आम जनता को चिकित्सा और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, वह इस तरह की जिम्मेदारी निभाने हेतु अच्छी तरह से अपने आप में योग्य न्यासियों के माध्यम से अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

17. इस प्रकार देखे जाने पर, विचारण न्यायालय द्वारा पैरा 21 में जो निष्कर्ष निकाला गया, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, वह बिल्कुल सही था तथा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। यह सत्य है कि वाद पत्र के कुछ पैरा इस शिकायत का संकेत देते हैं कि अपीलार्थीगण पूरी तरह से किनारे कर दिए गए थे, जबकि न्यास का नियंत्रण, संबंधित प्रतिवादियों के हाथों में था। आरोपों से स्पष्ट होता है कि ट्रस्ट का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा था तथा वह चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा रहा था और धन की हेराफेरी हो रही थी। हालांकि पैरा 21 के साथ-साथ वाद में दावाकृत प्रमुख अनुतोष से स्पष्ट होने वाले मामले का सार यह है कि जो मांग की जा रही थी, वह सार्वजनिक अधिकार थे। यदि किसी अस्पताल की स्थापना करने वाले न्यास के संबंध में चिकित्सा व्यवसाय व जनता के बीच से न्यासी के नियुक्ति द्वारा न्यास के उचित व प्रभावी प्रशासन के लिये प्रशासन का उचित दायरा तैयार करने का अनुरोध किया गया था, तब मामला निश्चित रूप से संहिता की धारा 92 के दायरे में आयेगा।

18. इन परिस्थितियों में, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण को दरकिनार करते हैं और जिला न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय को बहाल करते हैं। खर्च के संबंध में किसी भी आदेश के बिना, अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

[1](2007) I MLJ 683

[2](1966) 2 SCR 151

[3](1967) 2 SCR 618

[4](1969) 3 SCR 83

[5]1897 SCC OnLine Cal 42: (1896-97)1 CWN 345

[6](1923-24) 51 I.A. 282

[7]I.L.R. 33 Cal. 789

[8]I.L.R. 45 Mad. 113

[9]I.L.R.[1943] Mad. 619

[10]I.L.R. 1938 Mad. 39

[11](1927) I.L.R. 55 Cal. 519 (P.C.)

[12](1935) I.L.R. 58 Mad. 988 (F.B.)

अनुवादित द्वारा
योगेश शरण त्रिपाठी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7, पटना।